

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

:- आदेश :-

क्रमांक/ 16224/जि.पं/शि.पं./2017-18/

कांकेर,दिनांक 9/02/2018

छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा-192/पंग्राविवि/22/ 2012/1167 रायपुर दिनांक 21.08.2012 शिक्षक पंचायत संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम 2012 अनुसूची चार नियम 09 के बिन्दु 01,02 तथा छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-2/2003/एफ-3 रायपुर दिनांक 30 नवम्बर 2012 एवं छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा-329/पंग्राविवि/ 22/2012/ में प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2012 में संशोधन होने के फलस्वरूप शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं में छुट के अनुसार अपर मुख्य सचिव छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा-1472/पंग्राविवि/22/326 नया रायपुर दिनांक 28.07.2017 के द्वारा दिये गये रिक्त पद पर शिक्षक पंचायत से व्याख्याता पंचायत अंग्रजी के पद पर वेतनमान रूपये 5300-150-8300 में पदोन्नति किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शित कालम नम्बर 07 में अंकित संस्था में अधोअंकित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है। पदोन्नत पद पर उपस्थित दिनांक से व्याख्याता पंचायत का वेतनमान प्राप्त होगा :-

| क्र० | शिक्षक पंचायत का नाम | विषय | वर्तमान पदांकित संस्था का नाम | विकास खण्ड | आरक्षण प्रवर्ग | पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था का नाम | विकास खण्ड | रिमार्क |
|------|-------------------------|---------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01. | श्री वैभव कुमार मेश्राम | अंग्रजी | शा.पू.मा.शा. तुमसनार | अंतागढ़ | अ.जा. | शा0उ0मा0वि0 ताड़ोकी | अंतागढ़ | |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्त :-

- 1 यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस./3953/2017 के निर्णय दिनांक 23.08.2017 की कंडिका 3 के पालन में दी गई है।
- 2 शिक्षक (पंचायत) से व्याख्याता (पंचायत) के पद में पदोन्नति हेतु निहित प्रावधानों के अनुसार जारी आरक्षण नीति का पालन किया गया है ।
- 3 पदोन्नत शिक्षक (पंचायत) के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व स्नातक, बी.एड./डी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय अनुमति का सत्यापन खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाकर कार्यभार ग्रहण लिया जावेगा । तत्पश्चात पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावे । स्नातक, बी.एड./डी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय अनुमति नहीं होने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावे ।
- 4 पदोन्नत शिक्षक (पंचायत) के विरुद्ध यदि विभागीय जांच, निलंबन, अपराधिक प्रकरण , न्यायालयीन जांच लंबित हो तो ऐसे शिक्षक (पंचायत) के लिये आदेश मान्य नहीं होगा ।
- 5 यदि शिक्षक (पंचायत) ने कोई तथ्य छुपाया है या गलत जानकारी दी हो तो पदोन्नति बिना सूचना के समाप्त की जावेगी ।
- 6 पदोन्नति स्वीकार नहीं करने पर कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा स्पष्ट अंकित किया जावेगा एवं इस कार्यालय को सूचित किया जावे ।

लिख
4-2-18

शिक्षक (पंचायत) को पदांकित संस्था में दिनांक 15.02.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । उक्त तिथि के उपरांत कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

8 पदांकित संस्था में संशोधन मान्य नहीं होगा ।

वि.प.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ.क्रमांक/ 16235/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2017-18

कांकेर, दिनांक 7/02/2018

प्रतिलिपि :-

- 1 आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
- 2 कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
- 3 सर्व अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
- 5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 6 खण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिवासी विकास खण्ड अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें ।
- 7 प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी प्रेषित करें ।
- 8 संबंधित श्री.....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात पदांकित शाला में उपस्थिति देंगे ।
- 9 गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा), व्यक्तिगत नस्ती हेतु । जिला पंचायत कांकेर ।

वि.प.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर